


शुनिता देवी काम धनराम कर

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	142/21	आज्ञा विस्तृत रूप से
	7/5/24		<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वक्त अदालत वादी व उनके अधिवक्ता के बाल-बाल आवाज लगावाई गई। वादी व वादी अधिवक्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी व वादी अदालत हाजिरी अदम्य करवी में कार्रवाई किया जाता है। पत्रावली के लिये शुमार एकल, दर्ज नम्बर है कम है। बाद तकमील आविल इफ्तार है।</p> <p style="text-align: right;"> उप जज अधिकारी जयपुर (द्वितीय)</p>